रिव्हयू प्रकरण क्रमांकः /2010
प्रस्तुति दिनांक : 29.04.2010

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

मनमोहन शरनसिंह भसीन रिव्यू 626-II/10

निवासी- 94/4, चन्द्रलोक कालोनी, इन्दौर ....प्रार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त
   इन्दौर संभाग, इन्दौर

2. चन्दनसिंह पिता घीसाजी
   निवासी निपानिया, तहसील व जिला इन्दौर

3. युनूस पिता बापू
   निवासी- ग्राम खजराना,
   तहसील व जिला इन्दौर

... प्रतिप्रार्थीगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

इस माननीय के द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1276-पीबीआर/98 में दिनांक 25.01.2010 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुर्नविलोकन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 626–II / 10 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–6–2015	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण का निराकरण पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में दर्शाये गये आधारों पर किया जा रहा है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में दर्शाये गये आधारों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । आधारों में अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	